Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE NO. 45/2006

New Delhi dated 5.04.06

No.E(MPP)2003/1/88

The General Manager,
All Indian Railways including Production Units
CORE/Allahabad
Metro Railway/Kolkata
COFMOW/New Delhi.
The Director General,
RDSO/Lucknow.

Sub: - Creation of posts required for
Maintenance and operation of new assets
Ref. - Board's letter No.E(G)96 EC2-1 dated 7.8.96
(RBE No.65/96)

As per Railway Board's letter No.E(G)98EC2-3 dated 3.8.98, the powers to create non-gazetted Group 'C' & 'D' posts required for maintenance and operation of new assets with matching surrender of posts of equivalent money value was delegated to Divisional Railway Managers. They were permitted to operate a Vacancy Bank in their Division by crediting up to a maximum of 50% of the money value of the posts surrendered by them and the balance to be credited to the HQ Vacancy Bank.

The issue of allowing creation of posts in Safety and operational categories has been under consideration of Board. It has been decided that the DRMs may be allowed to create the above posts on 1:1 basis, i.e. by surrendering 1 post in a particular grade, a fresh post can simultaneously be created in the same/lower grade, with the approval of General Manager. The revised stipulation as above is however, subject to surrender of posts as advised in this office letter No.E(MPP)2005/1/54/Vol.II dated 27.2.06 followed by ED(Trg.&MPP) letter dated 8.3.06.

This issues with the concurrence of the finance directorate of the Ministry of Railways.

(P. Ananth)
Director(MPP)
Railway Board.

No E(MPP)2003/1/88 New Delhi, dated 5.04.06

Copy to:-

1. FA&CAO, All Indian Railways and Production Units, Metro, COFMOW, CORE
2. Joint Director, Finance, RDSO, Lucknow.

(B. Ananth)
Director(MPP)
Railway Board.

No. E(MPP)2003/1/88 New Delhi, dated 5.04.06

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares.)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares.)
3. The Secretary General, FROA, Rail Bhawan (5 spares)
4. The Secretary General, IRPOF, Rail Bhawan (5 spares)
5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi(90 spares)
6. The General Secretary, All Indian RPF Association, Rail Bhawan (5 spares)

For Secretary/Railway Board.

Copy to:-
CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml.), AM(Elect.), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Staff), AM(Rly. Stores), AM(T&C), AM(Telecom.), AM(Tfc.), AM(Works), Adv(Vig.), Adv. Fin(Exp), Adv.(IR), LA , OSD(MIS)

ED(plg.), ED(Accts.), ED Fin.(SC), EDCE(G&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDF(E), ED(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(E), EDF(C), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(Trg.&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT),EDME(Dev.), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(Plg.), ED(PP), ED(Projects), ED(Projects)/DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat&Eco), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDT(M), EDT(MC),EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM)EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T),ED(W) .

Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

E(Trg.), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)Spl.

5

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 57/2006

नई दिल्ली, दिनांक 5.4.2006

सं. ई (एम पी पी)/2003/1/88

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
एवं उत्पादन इकाइयां
कोर/इलाहाबाद
मैट्रो रेलवे/कोलकाता
कोंकण/नई दिल्ली
महानिदेशक
अ.अ.मा.सं./लखनऊ.

विषय : नई परिसंपत्तियों के अनुरक्षण तथा परिचालन के लिए अपेक्षित पदों का सृजन.
संदर्भ : बोर्ड कार्यालय का 7.8.96 का पत्र सं. ई (जी) 96/ई सी2-1(आर बी ई सं. 65/96)

रेलवे बोर्ड के दिनांक 3.8.98 के पत्र सं. ई (जी)98 ई सी 2-3 के अनुसार मंडल रेल प्रबंधकों को नई परिसंपत्तियों के अनुरक्षण तथा परिचालन के लिए अपेक्षित समकक्ष नयी वेल्यू के पदों के मैचिंग सरेंडर सहित ग्रुप 'ग' एवं 'घ' पदों के सृजन की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी. इन्हें उनके द्वारा अभ्यर्पित किए गए पदों के अधिकतम 50% की नयी वेल्यू तक क्रेडिट करने तथा शेष को मुख्यालय वैकेंसी बैंक में क्रेडिट करते हुए उनके मंडलों में एक वैकेंसी बैंक परिचालित करने की अनुमति दी गई थी.

संरक्षा तथा परिचालनिक कोटियों में पदों के सृजन की अनुमति दिए जाने संबंधी मामला बोर्ड के विचाराधीन है. यह विनिश्चय किया गया है कि मंडल रेल प्रबंधक को 1:1 के आधार पर उपर्युक्त पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की जा सकती है, अर्थात किसी ग्रेड विशेष में 1 पद के सरेंडर किए जाने के साथ ही महाप्रबंधक के अनुमोदन से उसी/निचले ग्रेड में एक नए पद का सृजन किया जा सकता है. बहरहाल, उपर्युक्त संशोधित अनुबंध इस कार्यालय के 27.2.06 के पत्र सं. ई (एमपीपी)2005/1/54/वॉल्यूम II तथा उसके बाद 8.3.06 के कार्य. निदे. (प्रशिक्षण एवं जनशक्ति योजना) (ट्रेनिंग एवं एम पी पी) के पत्र में सूचित पदों के अभ्यर्पण के अध्यधीन होगी.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(पी अनंत)
निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एम पी पी)/2003/1/88 नई दिल्ली, दिनांक 5.4.2006

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. चिस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, कोर, कॉफमो, मेट्रो
2. संयुक्त निदेशक/वित्त/अ.अ.मा.सं., लखनऊ.

(पी. अनंत)
निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एम पी पी)/2003/1/88 नई दिल्ली, दिनांक 5.4.2006

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
6. महासचिव, अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल संघ, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001 को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड